

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज०

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी एक्ट सहपठित द्वारा 16 एल.आर.एक्ट 136  
**ग्रामीण सेवा शिवि - 2025**  
 ग्राम पंचायत...

महोदय

निवेदन है कि ग्राम कोटडा जैनमाल जमाबंदी सं. के खाता सं. 15 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/बुटी पूर्ण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जावे, अन्तर्गत धारा के अन्तर्गत खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खाते सं.	भू प्रबंध खातेनी अनुसार प्रविष्टि	खाते सं.	वर्तमान इन्द्राज/ बुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रमाण)
1	2	3	4	5
15	कमलेश, जगदीश 5/0 सीमावर्षी 3/0, बाटमवर्षी W/0 स्व. 361, रामलाल 5/0 वरदा, गंगावर्षी 0/0 वरदा, जाति चमार सा. गांव खातेदार	15	जाति चमार	जाति मेघवाल

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. कमलेश 5/0 361
2. जगदीश 5/0 361
3. सीमावर्षी 3/0 361
4. बाटमवर्षी W/0 361  
 रामलाल 5/0 वरदा  
 गंगावर्षी 0/0 वरदा

हस्ताक्षर

कमलेश  
 जगदीश  
 सीमा  
 वरदा


रिपोर्ट पटवारी कोटडा जैनमाल

गई। मजमे आम में ली गई जानकारी भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जावे तथा अनुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।



रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षण

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। उक्त रिकार्ड में दर्ज बुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

  
 04/11/2025



रिपोर्ट तहसीलदार/पैसेकार सरकार

क्रमांक: 1A  
राजस्व/2025/436

दिनांक: 04/10/25

महोदय, जांच रिपोर्ट महचारी एवं भूअगिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम कोटवाडी की बादी/प्राची को राजस्व रिकार्ड में चर्ज चुटीपूर्ण हज्जाज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

[Signature]

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

[Signature]

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/475

दिनांक: 06/11/25

बादी/प्राची के ग्राम कोटवाडी के राजस्व रिकार्ड में चर्ज चुटीपूर्ण हज्जाज तहसीलदार [Signature] की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तुत किया गया है। चुटीपूर्ण हज्जाज को कालम सं. 6 अनुसार दुरुस्त किया जाना शर्तकार किया जाता है। तहसीलदार [Signature] को आदेशित किया जाता है कि बादी/प्राची के राजस्व रिकार्ड में सादरी के कालम सं. 5 अनुसार हज्जाज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



[Signature]  
06/11/25

उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झालावाड राज0